

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरौही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही
2. श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री दिनेश कुमार जाति-घांची निवासी- वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही

पंचायत निगरानी संख्या: 114/2020

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

1. श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरौही(प्रार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा, अप्रार्थी संख्या- 2 की ओर से

-: निर्णय :-

दिनांक 01 दिसम्बर, 2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 22096 दिनांक 08 जून 2017 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी आवेदन जिला कलक्टर न्यायालय, सिरौही के क्षेत्राधिकार के होने से जिला कलक्टर न्यायालय, सिरौही में प्रस्तुत किया गया। जिला कलक्टर, सिरौही के आदेश क्रमांक:कोर्ट/2020/742-43 दिनांक 20.10.2020 से उक्त निगरानी आवेदन इस न्यायालय को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से उसके अधिवक्ता उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा) को नोटिस की तामिल होने पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12.3.2021 को श्री दुर्गेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन बहस हेतु नियत तिथि को अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

(3) प्रकरण में दिनांक 16.11.2021 को बहस सुनी गई। बहस के दौरान श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरौही ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या-2 को रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 को पारित करते हुए इस प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 को रियायती दर पर पट्टा विलेख जारी किया गया है, जो नियम विरुद्ध जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या-2 का ग्राम वाटेरा में पूर्व से ही

.....पेज दो पर



के.आर.खौड़
जिला कलक्टर
सिरौही (पञ्ज.)



आवासीय मकान बना हुआ है जिसमें अप्रार्थी संख्या-2 अपने परिवार के साथ निवास करती है। अप्रार्थी संख्या-2 साधन सम्पन्न परिवार की है, इस कारण से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या-2 रियायती दर पर या निःशुल्क भूखण्ड पाने की पात्रता नहीं रखती है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत पंचायत ग्राम की आबादी में 300 वर्गगज तक की भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति, स्वच्छकारों, पिछड़े वर्ग के सदस्यों, कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, बी.पी.एल. में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़िया लुहारों या जिनके आवास बाढ़ के कारण बह गये हैं व भविष्य में रहने योग्य नहीं रहे हैं को रियायती दर पर/निःशुल्क आवंटन कर सकेगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ. 40पीसी/परावि/आबादी पट्टा/2009/96 दिनांक 06.1.2020 में स्पष्ट किया है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत कमजोर वर्गों को रियायती दर पर/निःशुल्क भूखण्ड आवंटन का प्रावधान है एवं बीपीएल सेन्सस 2002 के सर्वे में ऐसे परिवार जिनके पास राज्य में कोई भूखण्ड या मकान नहीं है, वे ही व्यक्ति इस नियम के तहत रियायती दर पर भूखण्ड पाने के पात्र हैं। पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ.4(1)परावि/पीसी/आभू/2004/597 दिनांक 18.6.2004 में स्पष्ट किया है कि पात्र परिवार की वार्षिक आय 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) से अधिक नहीं हो। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने अप्रार्थी संख्या-2 के वार्षिक आय का प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही एवं अप्रार्थी संख्या-2 का राज्य में कहीं पर भी आवासीय मकान या आवासीय भूखण्ड है या नहीं, की जांच किये बिना ही रियायती दर पर/निःशुल्क भूखण्ड का आवंटन करते हुए पट्टा विलेख जारी किया है, जो विधि अनुरूप नहीं है। यह कि ग्राम पंचायत, वाटेरा को आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 142 के तहत प्लान तैयार किये बिना ही पट्टे जारी किये हैं। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों से आबादी विस्तार हेतु आवंटित आबादी भूमि का सीमाज्ञान भी नहीं करवाया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रदत्त प्रावधानों का पालन किये बिना ही अपात्र व्यक्तियों को रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन कर पट्टा जारी किया है, जबकि अप्रार्थी संख्या-2 रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखती है जिसकी पुष्टि इस प्रकरण में प्रस्तुत श्री केतन ओझा, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हीराराम, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होता है। अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा के संकल्प संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 को एवं इसके अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा को ग्राम वाटेरा में आबादी विस्तार हेतु खसरा संख्या 382, 697 व 1148 रकबा क्रमशः 12.01 बीघा, 1.13 बीघा, 0.07 बीघा में से 5 बीघा, 1.12 बीघा व 0.07 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा द्वारा दिनांक 11.8.2016 को आवंटित की गई थी एवं आवंटन की शर्त अनुसार उक्त आबादी भूमि के भूखण्डों का नक्शा तैयार कर ग्राम समा से अनुमोदन करवाकर राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत भूखण्ड पाने की पात्रता रखने वाले व्यक्तियों के पात्रता की जांच करवाकर नियमानुसार भूखण्ड आवंटित कर पट्टे जारी किये हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती है। यह कि उक्त खसरा संख्या 697 की रकबा 500 वर्गगज भूमि ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु आवंटन होने से पहले ही उप

.....लगतार पेज तीन

८
 राजस्थान पंचायती राज विभाग
 जयपुर

तहसीलदार भावरी के आदेश क्रमांक/राजस्व/92/647 दिनांक 21.9.1992 के द्वारा श्री लीलाराम पुत्र सोमाजी घांची निवासी वाटेरा को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 98 के तहत चारा संग्रहण व मवेशी बांधने हेतु आवंटीत की गई थी तबसे उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का अपने पिता/पति/ससुर श्री लीलाराम के जरिये लगातार पुराना कब्जा चला आ रहा है उक्त भूमि के मौके पर अप्रार्थी संख्या-2 का परकोटा बना हुआ है व मौके निर्माण कार्य भी किया हुआ है। यह कि उक्त श्री लीलाराम को आवंटीत भूमि के नियमन की कार्यवाही भी वर्ष 2016 में हुई थी लेकिन ग्राम पंचायत वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को भूमि का पट्टा देने का आश्वासन देते हुए ग्राम पंचायत ने आबादी विस्तार हेतु आवंटीत करवाई। उक्त भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटीत होने के बाद राजस्थान पंचायती राज नियम, 19096 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड पाने का अप्रार्थी संख्या 2 पात्र व्यक्ति होने से ग्राम पंचायत वाटेरा ने पात्रता की जांच कर नियमानुसार भूखण्ड आवंटित कर पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को पट्टा जारी होने के बाद पट्टे की भूमि पर निर्माण कार्य करने हेतु निर्माण की स्वीकृति भी जारी की गई है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 ने पक्का निर्माण कार्य करवाया है तथा पट्टे शुदा भूमि पर काबिज है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अर्न्तगत वर्णित श्रेणी के व्यक्तियों को 300 वर्गगज तक की भूमि निःशुल्क/रियायती दर आवंटित किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी संख्या-2 भी उक्त नियम 158 में वर्णित श्रेणी का गरीब व भूमिहीन व्यक्ति है जिसके पास प्रश्नगत पट्टे के अलावा अन्य कोई आवासीय भूमि/मकान नहीं है। अप्रार्थी संख्या-2 पशुपालन कर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता है। ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 को क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट अर्थात् 150 वर्गगज से कम आबादी भूखण्ड आवंटन का पट्टा जारी किया गया है। उक्त भूमि का अप्रार्थी संख्या-2 अपने पुराने कब्जे के आधार पर भी राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानों के तहत नियमन करवाकर पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी है। यह कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा आबादी में आवंटित उक्त आवासीय भूखण्डो का कुछ व्यक्तियों को कब्जा नहीं दिये जाने के संबंध में एक शिकायत हुई, जिसकी जांच अधिकारी द्वारा कुल 24 व्यक्तियों के सामूहिक बयान लिये जाकर पट्टों को गलत जारी होना बताया है। जांच रिपोर्ट में जन प्रतिनिधि वार्ड पंचों के रिश्तेदारों को पट्टे देना बताया है जिसमें वार्ड पंच से रिश्ता वार्ड पंच के बेटे के साले की पत्नी, वार्ड पंच के काका की पत्नी आदि रिश्ता बताया गया है। वार्ड पंच के रिश्तेदार होने से किसी व्यक्ति की पट्टा प्राप्त करने की पात्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उक्त जांच रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि रेबारी समाज के व्यक्तियों को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टे देने थे, लेकिन उन्हें नियम 158 में पट्टे जारी करना बताया है। पुश्तैनी/पुराने आवासीय मकान का पट्टा नियम 157 में दिये जाने का प्रावधान है। यदि किसी व्यक्ति को जो उक्त नियम 157 के तहत पट्टे देने थे और नियम 158 के तहत पट्टा जारी कर दिया है तो इससे प्रश्नगत पट्टे की भूमि के स्वामित्व व मालिकाना हक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जांच कमेटी ने गलत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है उस गलत जांच रिपोर्ट के आधार पर यह गलत निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या-2 का पुराना कब्जा था एवं पुराने कब्जे के आधार पर अप्रार्थी संख्या-2 प्रश्नगत भूमि का पट्टा प्राप्त करने की पात्र है। अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि यदि फिर भी ग्राम पंचायत स्तर पर पट्टा जारी करने में कोई अनियमितता या त्रुटि हुई है तो उसे किसी भी समय सुधारा जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा किये गये कृत्य के लिये अप्रार्थी संख्या-2 को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि नियमों की पालना करने का दायित्व ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का था जिस पर अप्रार्थी संख्या-2 का कोई नियंत्रण नहीं था। कानून

....पेज चार पर



अ. नि. निगरानी संख्या
114/2020

नियमानुसार भूखण्ड आवंटन किये जा सकेंगे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार नहीं किया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा के पास ऐसा कोई प्लान नक्शा उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अप्रार्थी संख्या-2 को कौन से खसरा संख्या नंबर में किस भूखण्ड का पट्टा जारी किया है, जो उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के उक्त आवंटन आदेश दिनांक 11.3.2016 की शर्त संख्या-6 का उल्लंघन है। उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के उक्त आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का निर्णय लेती है तो इन व्यक्तियों/अतिक्रमियों के पास आवास है या नहीं, आय आदि के बारे में ग्राम पंचायत की समिति में ग्रामसेवक व पटवारी को (मौका रिपोर्ट लेने वाली समिति में) शामिल किया जाकर ही नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकेंगे, लेकिन ग्राम पंचायत, वाटेरा ने उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 की भी पालना नहीं की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या-2 रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार करवाये बिना ही एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या-2 के रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन की पात्रता की जांच किये बिना ही अप्रार्थी संख्या-2 को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का पंचायत बैठक में निर्णय लेते हुए पट्टा विलेख जारी किया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 एवं इस प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 22096 दिनांक 08 जून 2017 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।



a
(के.आर. खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही